



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना हीमपुर दीपा

दिनांक 01.02.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 12/2025 में वांछित बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लेने के संबंध में।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.01.2025 को वादिया ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अभियुक्त द्वारा वादिया की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया है तथा अभियुक्त के अन्य दोस्त घर के बाहर खड़े होकर आने जाने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने लगे। इस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 61(1)/65(1)/351(3) बीएनएस व धारा 5L/6 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही –

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 12/2025 धारा 61(1),65(1),351(3) BNS व 5L/6 पोक्सो अधि0 से संबंधित बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस निगरानी में लिया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम व पता –

बाल अपचारी।

पुलिस टीम का विवरण –

- 1-उ0नि0 जगत सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
- 2- आरक्षी फैयाज थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक 01-02-2025

थाना धामपुर पुलिस ने दो अभियुक्तों को 02 अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.आकिल पुत्र युसुफ व 2.मुजम्मिल पुत्र निसार निवासीगण मौ० नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 02 अवैध चाकू (प्रत्येक के पास से 1-1) सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना धामपुर पर मु०अ०सं० 47/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

- 1.आकिल पुत्र युसुफ निवासी मौ० नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.मुजम्मिल पुत्र निसार निवासी मौ० नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

02 अवैध चाकू (प्रत्येक के पास से 1-1)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आकिल उपरोक्त

- 1.मु०अ०सं० 393/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०सं० 044/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ०नि० श्री राजीव कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
2. हे०का० 645 प्रदीप थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
3. का० 2488 अनिल थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 01.02.2025

थाना धामपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गए मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 31.01.2025 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के ऑटो के डैशबोर्ड पर रखे मोबाइल फोन (रेडमी 13) को चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 48/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवचेनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्त फैजान पुत्र नौमान निवासी मौहल्ला शेरखान ग्राम सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 01.02.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैजान उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से उक्त चोरी किया गया मोबाइल फोन (रेडमी 13) बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फैजान पुत्र नौमान निवासी मौहल्ला शेरखान ग्राम सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

चोरी किया गया एक मोबाइल फोन (रेडमी 13)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री कुलभूषण थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 517 कपिल आर्य थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 1045 पवन थाना धामपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना शिवालाकलां

दिनांक 01.02.2025

थाना शिवालाकलां पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 09/25 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.01.2025 को वादी ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि अभियुक्त शनि पुत्र राजेश सिंह निवासी न्यू आर्य नगर थाना पिलखुआ जनपद हापुड वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। इस संबंध में थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 09/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम शनि पुत्र राजेश सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 31.01.2025 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 01.02.2025 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 09/25 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शनि पुत्र राजेश सिंह निवासी न्यू आर्य नगर कस्बा व थाना पिलखुआ जनपद हापुड को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शनि पुत्र राजेश सिंह निवासी न्यू आर्य नगर कस्बा व थाना पिलखुआ जनपद हापुड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अजित सिंह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
- 2- महिला आरक्षी 1129 निकिता थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नजीबाबाद

दिनांक 01.02.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 36 / 25 धारा 2(ख)(1) / 3(1) गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 31.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री जयभगवान सिंह, थाना नजीबाबाद द्वारा अभियुक्तगण 1.मौ0 अफजल पुत्र नाजिम निवासी ग्राम मुबारकपुर कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.मौ0 सुहेल पुत्र मौ0 असलम निवासी ग्राम अलीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के विरुद्ध देर रात्रि में सरकारी बस के परिचालक से सामान व सरकारी धन की लूट करके लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने जैसा जघन्य अपराध कारित कर अवैध आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित किये जाने के संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 36 / 25 धारा 2(ख)(1) / 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 01.02.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 36 / 25 धारा 2(ख)(1) / 3(1) गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्त मौ0 अफजल पुत्र मौ0 नाजिम निवासी ग्राम मुबारकपुर कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त मौ0 सुहेल की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. मौ0 अफजल पुत्र मौ0 नाजिम निवासी ग्राम मुबारकपुर कल्हेडी थाना नजीबाबाद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास —

- 1.मु0अ0सं0—36 / 2025 धारा 2(ख)(1) / 3(1)गैंगस्टर अधिनियम थाना नजीबाबाद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0—316 / 2024 धारा 392 / 411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0—530 / 2024 धारा 379 / 411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1— उ0नि0 श्री अनीस अहमद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 2— आरक्षी 1161 सुनील कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नजीबाबाद

दिनांक 01.02.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 31/25 धारा 69/89/351(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.01.2025 को वादिनी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त विक्रम सिंह पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम जहाँगीरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर अवैध सम्बन्ध बनाये तथा दहेज में 05 लाख रूपयों की मांग की। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 31/25 धारा 69/89/351(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 01.02.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 31/25 धारा 69/89/351(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में वांछित अभियुक्त विक्रम सिंह पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम जहाँगीरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. विक्रम सिंह पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम जहाँगीरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1— उ0नि0 श्री सुभाष राणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2— आरक्षी 39 ओमसिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3— आरक्षी 62 अंकित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 01.02.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.01.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त जोनी पुत्र मुनिराज निवासी ग्राम अथाई थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 63/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. जोनी पुत्र मुनिराज निवासी ग्राम अथाई थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 अन्नु कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2- आरक्षी 506 देवेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 3- आरक्षी 2123 अंकुर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नहतौर

दिनांक 01.02.2025

थाना नहतौर पुलिस ने चोरी की दो घटनाओं का खुलासा करते हुए अभियुक्त को नलकूपों से चोरी किये गये तार व मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 31.01.2025 को श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रायपुर लकडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी व वादी के पडोसी के नलकूपों से केविल चोरी कर लिये गये। इस संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 27/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 31.01.2025 को वादी श्री छोटे सिंह पुत्र तन्नु निवासी ग्राम तुराब नगर नंगला थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान के सामने खडी वादी की मोटरसाइकिल (यूपी 20 वाई 8951) चोरी कर ली। इस संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 28/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोगों में अभियुक्त रूपेन्द्र कुमार पुत्र सुखराम निवासी ग्राम अम्बरपुर जाफर थाना नहतौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 01.02.2025 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों से संबंधित अभियुक्त रूपेन्द्र कुमार सुखराम निवासी ग्राम अम्बरपुर जाफर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये नलकूपों के विद्युत केविल(मु0अ0सं0 28/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित) तथा चोरी की गयी मोटरसाइकिल स्पलेण्डर (यूपी 20 वाई 8951) (मु0अ0सं0 28/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित) बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. रूपेन्द्र कुमार सुखराम निवासी ग्राम अम्बरपुर जाफर थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण—

1. नलकूपों से चोरी किये गये 09 तार के बण्डल
2. चोरी की गयी स्पलेण्डर मोटरसाइकिल यूपी 20 वाई 8951

आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 198 / 2022 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 199 / 2022 धारा 4 / 25 आयुध अधि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 244 / 2022 धारा 379 / 411 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 27 / 2025 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 28 / 2025 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1— उ0नि0 श्री सुभाष तोमर थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 2— मुख्य आरक्षी 486 मोनू कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 3— आरक्षी 1144 रणवीर सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 4— आरक्षी 1356 अंकित चौहान थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 5— आरक्षी 1941 नवीन कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 01.02.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माह जनवरी – 2025 में मा0 न्यायालय द्वारा 58 अभियोगों में 71 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप **माह जनवरी – 2025** में जनपद बिजनौर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 58 अभियोगों में 71 अभियुक्तों को दण्डित किया गया, जिसमें से **08 अभियुक्तो को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। विवरण निम्नवत है।

दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.01.2025 तक दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण –

क्र0 स0	थाना	मु0अ0स0	धारा	दि0 सजा	अपराध शीर्षक	सजा	अभि0 सख्या
1	नूरपुर	75/19	363 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट	02-01-2025	पॉक्सो एक्ट	अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 3 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
2	स्योहारा	364/12	3(1) गैंगस्टर एक्ट	02-01-2025	जघन्य	02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
3	शेरकोट	368/03	4/25 आर्म्स एक्ट व 427 भादवि	02-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
4	अफजलगढ	299/15	307/34 भादवि	03-01-2025	जघन्य	09 वर्ष 4 माह के कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
5	शेरकोट	761/06	4/25 आर्म्स एक्ट	04-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
6	रेहड	672/06	4/25 आर्म्स एक्ट	04-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1

7	कोतवाली शहर	165/17	2/3 गैंगस्टर एक्ट	06-01-2025	जघन्य	02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
8	कोतवाली शहर	900/2017	138 बी विद्युत अधि0 2003	06-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
9	स्योहारा	207/18	138(1) बी विद्युत अधि0 2003	07-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
10	बढापुर	142/20	323/325/308/504 भादवि	07-01-2025	जघन्य	प्रत्येक को 03 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 16,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	4
11	स्योहारा	266/20	269/270/429 भादवि	07-01-2025	अन्य	प्रत्येक को जेल में बिताई अवधि की सजा व प्रत्येक को 3,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	2
12	स्योहारा	572/10	4/25 आर्म्स एक्ट	07-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
13	नजीबाबाद	715/17	138 बी विद्युत अधि0	08-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
14	कोतवाली शहर	1181/16	138 बी विद्युत अधि0	09-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
15	अफजलगढ	1024/05	25 आर्म्स एक्ट	09-01-2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 2,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
16	चांदपुर	25/2008	135 विद्युत अधिनियम	10-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
17	हल्दौर	88/16	138 बी विद्युत अधिनियम 2003	10-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
18	धामपुर	488/07	279/338/427 भादवि	09-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
19	नगीना	215/2003	39/40 भारतीय विद्युत अधिनियम	15-01-2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 2,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
20	नगीना	146/2003	4/25 आर्म्स एक्ट	15-01-2025	अन्य	जेल में बितायी गयी अवधि तक की सजा व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1

21	नगीना देहात	05/003	25 आर्म्स एक्ट	16-01-2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 200 रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1
22	धामपुर	1143/03	4/25 आर्म्स एक्ट	16-01-2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 600 रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1
23	कोतवाली देहात	191/14	4/25 आर्म्स एक्ट	17-01-2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1,000 रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1
24	नगीना देहात	138/18	411/413 भादवि	18-01-2025	अन्य	02 वर्ष कारावास की सजा व 10,00/- रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1
25	नगीना देहात	139/18	4/25 आर्म्स एक्ट	18-01-2025	अन्य	02 माह कारावास की सजा व 500 रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1
26	किरतपुर	384/12	364.,302/34,201,29 4 भादवि	20-01-2025	जघन्य	प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 47,000 रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	3
27	शेरकोट	112/11	323/34,342,353,33 2,186,427,504,506 भादवि एवं 135 विद्युत अधिनियम	21-01-2025	अन्य	प्रत्येक को 01 वर्ष कारावास की सजा व प्रत्येक को 3,000 रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	2
28	हीमपुर दीपा	835/09	452/323/324/325/5 04/506 भादवि	20-01-2025	जघन्य	02 वर्ष कारावास की सजा व 6,000 रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1
29	कोतवाली शहर	1913/05	3(1) गैंगस्टर एक्ट	21-01-2025	जघन्य	02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 5,000 रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1
30	कोतवाली देहात	316/2000	25 आर्म्स एक्ट	21-01-2025	अन्य	पूर्व में जेल में बिताई अवधि की सजा व 1,000 रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1
31	नगीना	284/18	302/34 भादवि	22-01-2025	जघन्य	अभि0 महेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा व 40,000 रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1
32	मण्डावर	207/23	380/457 भादवि	22-01-2025	जघन्य	01 वर्ष 03 माह कारावास की सजा व 8,000/- रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1
33	मण्डावर	76/23	380/457 भादवि	22-01-2025	जघन्य	01वर्ष 03 माह कारावास की सजा व 08,000 रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1
34	बढ़ापुर	545/09	25 आर्म्स एक्ट	22-01-2025	अन्य	पूर्व में जेल में बिताई अवधि की सजा व 2,000 रु0 अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।	1

35	हल्दौर	164/16	138 बी विद्युत अधिनियम 2003	23-01-2025	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 2,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1
36	मण्डावर	108/2018	138 बी विद्युत अधिनियम 2003	24-01-2025	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 2,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1
37	स्योहारा	532/2017	504/506 भादवि व 3(1)ध व 3(1)द एस0सी0एस0टी0 एक्ट	24-01-2025	जघन्य	अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 3 वर्ष सश्रम कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	2
38	शिवाला कलाँ	80/2002	434/447 भादवि	24-01-2025	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 400 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1
39	को0 शहर	393/1995	379 भादवि	24-01-2025	जघन्य	पूर्व में जेल में बिताई अवधि की सजा व 700 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1
40	रेहड	146/2019	294 भादवि	27-01-2025	जघन्य	पूर्व में जेल में बिताई अवधि की सजा व 500 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1
41	शिवाला कलाँ	69/2023	302/201 भादवि	28-01-2025	जघन्य	अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
42	नजीबाबाद	572/2023	379/411 भादवि	24-01-2025	जघन्य	पूर्व में जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1
43	बदापुर	20/2001	379/411 भादवि	24-01-2025	जघन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1
44	नागल	177/2023	4/25 आर्म्स एक्ट	24-01-2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1
45	नजीबाबाद	209/2024	379 भादवि	24-01-2025	जघन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1
46	नूरपुर	431/2024	4/25 आर्म्स एक्ट	24-01-2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1
47	नूरपुर	465/2023	379 भादवि	24-01-2025	जघन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1
48	चांदपुर	517/2024	4/25 आर्म्स एक्ट	24-01-2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	1

49	नजीबाबाद	58/2024	380/411 भादवि	29-01-2025	जघन्य	एक वर्ष का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
50	चाँदपुर	242/2015	302/201/34/120B भादवि	29-01-2025	जघन्य	अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व अभि0 अमित कुमार व कामेन्द्र उर्फ गुड्डू 20,000 रुपये के अर्थदण्ड व अभि0 रामवीर उपरोक्त को 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	3
51	चाँदपुर	249/2015	25 आर्म्स एक्ट	29-01-2025	अन्य	अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
52	स्योहारा	61/2008	323/504/506 भादवि	29-01-2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
53	अफजलगढ	332/2012	25 आर्म्स एक्ट	29-01-2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1500/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
54	चाँदपुर	629/24	13 जी एक्ट	30.01.2025	अन्य	मा0 न्याया0 उठने तक की सजा व 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
55	चाँदपुर	374/2016	4/25 आर्म्स एक्ट	30.01.2025	अन्य	जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
56	हीमपुर दीपा	298/2012	25 आर्म्स एक्ट	30.01.2025	अन्य	जेल में बिताई गयी अवधि व 800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
57	नूरपुर	105/13	363/120बी0 भादवि	31.01.2025	जघन्य	अभियुक्तगणों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	3
58	नूरपुर	106/13	304/34 भादवि	31.01.2025	जघन्य	अभियुक्तगणों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	2



BIJNOR POLICE



थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर

जनवरी - 2025

थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर द्वारा जनवरी - 2025 में 12 व्यक्तियों के साथ हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा धडी में कुल 10,19,917/- रुपये वापस कराये गये

थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर द्वारा निम्न शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीडितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीडितों द्वारा बिजनौर पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०स०	थाना	प्रा०पत्र सं०/ मु०अ०सं०	बरामद धनराशि	माध्यम
1	नगीना	NCRP- 48244	1,80,101/-	यूपीआई
2	कोतवाली शहर	NCRP- 57927	4,000/-	यूपीआई
3	मण्डावर	NCRP- 55999	20,000/-	यूपीआई
4	कोतवाली शहर	NCRP- 32213	10,000/-	यूपीआई
5	कोतवाली शहर	NCRP - 12083	19,800/-	यूपीआई
6	चाँदपुर	NCRP - 60153	1,48,999/-	यूपीआई
7	थाना साइबर क्राइम	FIR- 34/2024	25,000/-	यूपीआई
8	चाँदपुर	NCRP- 21923	80,000/-	यूपीआई
9	नगीना	NCRP- 94537	1,00,000/-	यूपीआई
10	धामपुर	NCRP-63016	3,04,842/-	आरटीजीएस
11	मण्डावली	NCRP-56971	20,000/-	यूपीआई
12	कोतवाली शहर	NCRP-39225	1,07,175/-	आरटीजीएस
कुल योग			10,19,917/-	